



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पंजाब

अपील आदेश को अपास्त करावे।

दृष्टिगत रखते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर निर्यात रखते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय को किस्ती प्रकार की राहत प्रदान नहीं की। अतः उपरोक्त समस्त कारणों को निर्यात की प्रथम अपीलिय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु दोनों ही अपीलिय न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। उक्त है, जो विधि समत नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार जौलराण द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही पारित करते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया बावत कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपीलिय न्यायालय द्वारा मात्र कयासी आधारों पर निर्यात भी यह अंकित नहीं है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय पर प्रस्तावित अतिक्रमण अपील आदेश पारित कर दिया। इसका अतिरिक्त पटवारी हल्का नै जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें नहीं किया तथा अपील अधीनस्थ न्यायालय को सूचना देकर प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर पेशी नियत करते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये, किन्तु नोटिस जारी जमाना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार जौलराण द्वारा दिनांक 06.10.2016 की पारित कर अपील अधीनस्थ न्यायालय को अतिक्रमण धारित किया एवं मूंसि से भौतिक रूप से बेदखल कर राजस्थान में राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.10.2016 को निर्यात को देहाते हुए कथन किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 विद्वान अभिभाषक अपीलान्त नै अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

रजिस्टर कर रेकॉर्डिंग को जारी समन तलब किया गया। अपीलिय न्यायालय का रेकॉर्ड तलब कलक्टर, पंजाब द्वारा पारित निर्यात दिनांक 27.03.2017 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज राज में राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 59/2017 में न्यायालय जिला अपीलान्तस की ओर से उनके अधिवक्ता नै यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76

दिनांक:- 16-3-2018

:- निर्यात :-

उपस्थित :-  
श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त  
सरकारी वकील, रेकॉर्डिंग की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व अपील : 25/2016

रेकॉर्डिंग :-

1. मिश्रसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति रावणा  
राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार  
राजपुरत निवासी लाटौली तहसील  
जौलराण जिला पंजाब

पीठासीन अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.  
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पंजाब



राजस्थान अधीन प्रशासकीय सेवा  
 (डॉ० बजरंगसिंह चौहान)

16.3.18

नियम आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद इस्ताखर कर खूले न्यायालय में सौंपाया गया।



न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।  
 27.03.2017 को भी आशिक अपस्त किया जाता है। इस नियम की प्रति के साथ अधीनस्थ अग्रज न्यायालय जिना कलकत्ता, पाली द्वारा अधीन संख्या 59/2017 में पारित नियम दिनांक के आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास का आदेश निरस्त किया जाता है। इसी पारित नियम दिनांक 06.10.2016 में अधीनस्थ के विरुद्ध बंदखली एवं शास्ती आरोपित करने न्यायालय तहसीलदार जौलारण द्वारा प्रकरण संख्या 387/2016 सरकार बनाम मिश्रसिंह में परिणाम स्वल्प अधीनस्थ द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ आशिक स्वीकार की जाती है तथा नहीं है।

जसिये परीक्षण न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अधीनीय न्यायालय द्वारा पारित नियम समर्थन योग्य परचालवर्ती अतिक्रमण साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। इस कारण जौरे अधीन आदेश के बंदखली किया गया है। इस प्रकार रेस्यूडेन्ट जौरे अधीन वादस्थ भूमि पर अधीनस्थ का होने का प्रश्न है, यह उपलब्ध रिकॉर्ड से साबित नहीं है कि उसे पूर्व में कब व किस प्रकार से अतिक्रमण का प्रश्न है और प्रार्थी अतिक्रमी साबित है। जहां तक प्रार्थी के परचालवर्ती अतिक्रमी किस्सी भी रूप में साबित नहीं होता है। तहसीलदार के समक्ष प्रार्थी का राजकीय भूमि पर सिद्धान्त इस्तमाल प्रकरण पर पूर्णतः चरमा होता है। इस्तमाल प्रकरण में भी परचालवर्ती अतिक्रमण पारित कर सकते थे, बिना साक्ष्य के ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।" यह प्रमाणित प्रतिलिपी रिकॉर्ड पर लेते एवं उसके आधार पर सिविल कारावास की सजा का आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने, उसके परचाल बंदखली के आदेश की आरोपी से प्रार्थीगण को बंदखली किया गया एवं जो बंदखली की कार्यावाही चली, उसके आदेश दण्डित करने के लिए तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवश्यक था कि पूर्व में